2021 का विधेयक संख्यांक .

[दि इंडियन मैरीन फिशरीज बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य उद्योग विधेयक, 2021

पारंपरिक और लघु मछियारों की जीविका और सामाजिक-आर्थिक कल्याण में अभिवृद्धि करने, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य उद्योग संसाधनों के धारणीय विकास का उपबंध करने और भारतीय मत्स्य जलयानों द्वारा खुले समुद्रों में मत्स्य उद्योगों की उत्तरदायी साज-सज्जा सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबद्ध तथा उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य उद्योग अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

लागू होना ।

2. अधिनियम निम्नलिखित को लागू होगा—

(i) अनन्य आर्थिक क्षेत्र और खुले समुद्र में, भारतीय मत्स्य जलयान द्वारा मछली पकड़ना और मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलाप ; और

(ii) भारत के समुद्री क्षेत्रों में विदेशी मत्स्य जलयानों द्वारा मछली पकड़ना और मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलाप ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्राधिकृत अधिकारी" से धारा 19 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "परामर्श समिति" से धारा 18 के अधीन गठित समुद्री मत्स्य उद्योग पर परामर्शी समिति अभिप्रेत है ;

(ग) "अनन्य आर्थिक क्षेत्र" से राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि-, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 7 के अर्थ के भीतर भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र अभिप्रेत है ; 1976 का 80

(घ) "मत्स्य" से फिनफिश, मोलस्कस, क्रसटेशियन और समुद्री स्तनपायी, सरीसृप तथा समुद्री पक्षियों से भिन्न समुद्री प्राणियों और पादपों की सभी अन्य किस्में अभिप्रेत हैं ;

(ङ) "मछियारा" से जीविका या अभिलाभ के प्रयोजन के लिए मछली पकड़ने और मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलापों में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं और उसमें मत्स्य कर्मकार सम्मिलित है ;

(च) "मछली पकड़ना" से मछलियों की खोज या उनका अनुगमन करना या पीछा करना, किसी भी ढंग से पकड़ना या लेना या पालना अभिप्रेत है

(छ) "मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलाप" से मछली उतारना, पैकेजिंग, विपणन, प्रसंस्करण, परिरक्षण या सीधा परिवहन, पोतांतरण या मछली का जो पहले किसी पोत पर नहीं उतारी गई हो, परिवहन या कोई अन्य संक्रियाएं अभिप्रेत हैं;

(ज) "मत्स्य उद्योग" से मछली पकड़ना और मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत समुद्री मत्स्य उद्योग संसाधनों का विदोहन, संरक्षण और प्रबंधन भी है;

(झ) "मत्स्य उद्योग डाटा" से सामाजिक, आर्थिक, जीव-विज्ञान और पर्यावरणीय प्राचलों पर सूचना अभिप्रेत है जिसमें मछली पकड़ना संचालित किया जाता है और जो भारत में मछली उद्योग संसाधनों के प्रभावी संरक्षण, प्रबंधन और वैज्ञानिक समझ के लिए आवश्यक है ;

(ञ) "मत्स्य जलयान" से कोई पोत या नौका अभिप्रेत है, जो चाहे मोटरीकृत या यंत्रीकृत हो या नहीं, जो समुद्र में मछली पकड़ने और मछली पकड़ने संबंधी कार्यकलापों में लगा हुआ है;

(ट) "विदेशी मत्स्य जलयान" से भारतीय मत्स्य जलयान से भिन्न कोई अन्य मत्स्य जलयान अभिप्रेत है ;

(ठ) "खुला समुद्र" से ऐसे सागर-खंड अभिप्रेत है जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बाहरी सीमाओं से बाहर है और जो किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर नहीं आता है ;

(ड) "भारतीय मत्स्य जलयान" से ऐसा मत्स्य जलयान अभिप्रेत है जो भारत के नागरिक के स्वामित्वाधीन है और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 या भारत में तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;

1958 का 44

(ढ) "अनुज्ञप्ति" से इस अधिनियम के अधीन मछली पकड़ने और मछली पकड़ने संबंधी कार्यकलापों के प्रयोजनों के लिए धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन जारी मछली पकड़ने की अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(ण) "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" से धारा 13 मे निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(त) "भारत का समुद्री क्षेत्र" से भारत का राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड और भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(थ) "यंत्रीकृत मत्स्य जलयान" से ऐसा मत्स्य जलयान अभिप्रेत है जिसके हल पर इंजन फिट किया हुआ है और जो नोदन साथ ही साथ मछली पकड़ने की संक्रियाएं जैसे कि जाल, संचालन लाइनें, आदि छोड़ना और खींचना, दोनों के लिए यंत्र शक्ति का उपयोग करता है;

(द) "मोटरीकृत मत्स्य जलयान" से ऐसा कोई मत्स्य जलयान अभिप्रेत है जिसके हल पर इनबोर्ड इंजन फिट किया हुआ है या क्राफ्ट के बाहर अस्थायी रूप से नोदन के लिए प्रयुक्त आउटबोर्ड इंजन फिट किया हुआ है ;

(ध) "समुद्री मत्स्य उद्योग पर राष्ट्रीय नीति" से धारा 4 के अधीन अधिसूचित समुद्री मत्स्य उद्योग पर राष्ट्रीय नीति अभिप्रेत है ;

(न) "गैर-मोटरीकृत मत्स्य जलयान" से ऐसा मत्स्य जलयान अभिप्रेत है जो नोदन या मछली पकड़ने की संक्रिया के लिए किसी प्रकार की यंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं करता है ;

(प) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(फ) "प्रचालक" से मत्स्य जलयान का स्वामी या उस पर तत्समय नियत्रण रखने वाला और उसका प्रबंध करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ब) किसी जलयान के संबंध में "स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका

मत्स्य जलयान है या उसका मत्स्य जलयान में अंश है:

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" में कोई व्यष्टि या भागीदारी या कोई लोक या निजी निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है;

(भ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(म) "मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना" से क्रीड़ा या आनन्द के लिए मछली पकड़ना अभिप्रेत है ;

(य) किसी मत्स्य जलयान के संबंध में "स्कीपर" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास मत्स्य जलयान की कमांड या प्रभार है या जिसके ऊपर मत्स्य जलयान का उत्तरदायित्व है ;

(यक) "लघु मछियारे" से बड़ी फर्मों या कंपनियों से भिन्न स्वामी द्वारा प्रचालित या उद्यम मछली उद्योग अभिप्रेत है जिसमें जीवन निर्वाह, घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए पूंजी की लघु रकम और ऊर्जा तथा एकल दिवस या बहु दिवस मछली पकड़ने के फेरे लगाना सम्मिलित है ;

(यख) "विशेष अनुज्ञप्ति" से धारा 15 के अधीन जारी विशेष अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(यग) "राज्य सरकार" से तटीय अवस्थिति वाली राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत हैं ;

(यघ) "राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड" से राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन भारत का राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड अभिप्रेत है ; 1976 का 80

(यङ) "पारंपरिक मछुआरे" से मछियारों का ऐसा पारंपरिक समुदाय अभिप्रेत हैं, जो तटीय क्षेत्रों में मूल रूप से निवास करता है, वास्तविक जीविका आवश्यताओं के लिए वंशानुगत रूप से समुद्री मछली पकड़ता है तथा इसके अंतर्गत कुटीर मछियारे सम्मिलित हैं ;

अध्याय 2

मत्स्य उद्योग संसाधनों का धारणीय विकास और प्रबंधन

समुद्री मत्स्य उद्योग पर राष्ट्रीय नीति ।

4. (1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, समुद्री मत्स्य उद्योग पर राष्ट्रीय नीति तैयार और अधिसूचित करेगी ।

(2) समुद्री मत्स्य उद्योग पर राष्ट्रीय नीति, समुद्री मत्स्य उद्योग के जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए रणनीति भी है, धारणीय विकास के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत या सिद्धांत अधिकथित करेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार पर उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित समुद्री मत्स्य उद्योग पर राष्ट्रीय नीति का समय-समय पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण कर सकेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, समुद्री मत्स्य उद्योग पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार समुद्री मत्स्य उद्योग विकास योजना तैयार और अधिसूचित करेगी ।

समुद्री मत्स्य उद्योग प्रबंधन योजना ।

5. केन्द्रीय सरकार, मत्स्य उद्योग संसाधनों के धारणीय उपयोग के लिए जिसके अंतर्गत उनका संरक्षण भी है, राज्य सरकारों से परामर्श करके—

(i) समुद्री मत्स्य उद्योग पर राष्ट्रीय नीति ;

(ii) अंतरराष्ट्रीय लिखत, करार और संकल्प, जिसमें भारत एक पक्षकार है ;

(iii) खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), अर्थात् अवैध, अरिपोर्टित और अविनियमित मछली पकड़ने (आईयूयू मछली पकड़ना) के निवारण, रोक और निरसन की कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय योजना की स्वेच्छाया लिखत ;

(iv) उत्तरदायी मत्स्य उद्योग, मत्स्य उद्योग प्रबंधन और सह-प्रबंधन के लिए पारितंत्र पहुंच के अंगीकरण और धनीय पहुंच, जहां कहीं अपेक्षित हो, के लिए एफएओ

आचार संहिता,

के अनुसार ऐसे उपाय अंतर्विष्ट करने वाली समुद्री मत्स्य उद्योग प्रबंधन योजना तैयार और अधिसूचित करेगी ।

मछियारों और मत्स्य जलयानों की रक्षा और सुरक्षा ।

6. (1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, ऐसे उपाय जिसके अंतर्गत मत्स्य जलयानों के विभिन्न वर्गों या प्रवर्गों के लिए मानीटरी, नियंत्रण और निगरानी के मानक और उनके प्रचालन के क्षेत्र या क्षेत्रों को अधिकथित करना भी है, विहित करेगी।

(2) प्रत्येक मछियारा और मत्स्य जलयान का ऑनबोर्ड कर्मी दल, आधार कार्ड या अपनी पहचान का सबूत, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अपने साथ रखेगा ।

परंपरागत और लघु मछियारों की सहायता ।

7. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, परंपरागत और लघु मछियारों की जिसके अंतर्गत गैर-मोटरीकृत मत्स्य जलयानों का संचालन करने वाले मछियारे भी हैं, जीविका और सामाजिक-आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसे उपाय करेगी ।

विदेशी मत्स्य जलयानों द्वारा मछली पकड़ने का प्रतिषेध ।

8. कोई विदेशी मत्स्य जलयान इस अधिनियम के अधीन भारतीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने या मछली पकड़ने से संबंधित क्रियाकलापों में नियोजित नहीं होगा ।

विदेशी मत्स्य जलयान का अभिवहन ।

9. भारतीय समुद्री क्षेत्र से अभिवहन होने वाला प्रत्येक विदेशी मत्स्य जलयान ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए ।

नाशक मछली पकड़ने का प्रतिषेध ।

10. कोई व्यक्ति डायनामाइट या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थ, विष या अपायकर रसायन या नाशक सामग्री का उपयोग नहीं करेगा अथवा किसी नाशक पद्धति जिसके अंतर्गत मछली को पकड़ने या नाश करने के लिए प्रकाश का उपयोग भी है, नियोजित नहीं करेगा:

परंतु प्रकाश का उपयोग कतिपय मछली पकड़ने की पद्धतियों में अनुज्ञात किया जा सकेगा, जो विहित की जाए:

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अधिसूचना द्वारा ऐसे विस्फोटक पदार्थ, नाशक सामग्री या मछली पकड़ने की पद्धति जो इस धारा के अधीन प्रतिषिद्ध या निर्बंधित की जाए विनिर्दिष्ट करेगी ।

किशोर मछली पकड़ने का प्रतिषेध ।

11. (1) कोई व्यक्ति, उसके सिवाय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए, किशोर मछलियां नहीं पकड़ेगा और ऐसी अधिसूचना में मछलियों की विभिन्न प्रजातियां विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिनसे किशोर मछलियों का गठन होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, किशोर मछली पकड़ने या मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलाप के निवारण के उपाय विहित करेगी ।

मछली पकड़ने के लिए अनुज्ञप्ति की अपेक्षा ।

12. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति के पश्चात् कोई भारतीय मत्स्य जलयान इस अधिनियम के अधीन जारी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना अनन्य आर्थिक क्षेत्र और खुले समुद्रों में मछली नही पकड़ेगा या मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध गैर-मोटरीकृत मत्स्य जलयानों को लागू नहीं होंगे ।

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ।

13. राज्य सरकारों का अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति प्रदत्त किए जाने के प्रयोजनों के सिवाय, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी होगा ।

अनुज्ञपति की शर्तें।

14. (1) किसी भारतीय मत्स्य जलयान का कोई स्वामी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, खुले समुद्र या दोनों में मछली पकड़ने और मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को एक आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में होगा, उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी और ऐसी फीस संलग्न होगी और ऐसी रीति में एकत्रित की जाएगी, जो विहित की जाए :

परंतु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, मत्स्य जलयानों के भिन्न भिन्न वर्गों या प्रवर्गों और प्रचालन के क्षेत्र या क्षेत्रों की बाबत भिन्न भिन्न फीस विहित कर सकेगी ।

(3) अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर जारी की जाएगी जो विहित किया जाए और वह ऐसी अवधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, विधिमान्य होगी:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में मछली पकड़ने और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने तथा मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलापों के लिए, संयुक्त अनुज्ञप्ति जारी करने से निवारित नहीं करेगी:

परंतु यह और कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने और मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलापों के लिए आवेदन करने की दशा में, जो राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में मछली पकड़ने के लिए पहले से ही विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करता है, पृथक अनुज्ञप्ति जारी करने की बजाय, ऐसे आवेदक की अनुज्ञप्ति का विस्तार अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने और मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट की अपेक्षाओं को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए, कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करते समय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी,—

(i) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अनुसार मत्स्य जलयान की यात्रा योग्यता और सुरक्षा तथा मैनिंग सन्नियम और कानून व्यवस्था के अनुरक्षण से संबंधित मामले या लोकहित के किसी अन्य मामले को ध्यान में रखेगा ; 1958 का 44

(ii) धारा 5 और धारा 6 के उपबंधों की अपेक्षाओं का ध्यान रखेगा ।

(5) इस धारा के अधीन किसी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने से इंकार की संसूचना आवेदक को लिखित आदेश द्वारा दी जाएगी और ऐसा आदेश मत्स्य जलयान या मत्स्य जलयानों के किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग से संबंधित हो सकेगा, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(6) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति ऐसी परिस्थितियों के सिवाय जो विहित की जाएं, अंतरणीय नहीं होगी या तीसरे पक्षकार को समनुदेशित नहीं की जाएगी अथवा उसके पक्ष में किसी हित का सृजन नहीं करेगी ।

कतिपय क्रियाकलापों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति ।

15. (1) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, भारतीय मस्त्य जलयान को मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने हेतु, जल-क्रीड़ा, समुद्री पर्यटन और कोई अन्य क्रियाकलाप अनुज्ञात करने के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जाएं, विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, मत्स्य उद्योग से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए ऐसे मत्स्य जलयान को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जाएं विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगी ।

अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना ।

16. (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, या तो इस संबंध में किए गए किसी निर्देश पर या अन्यथा यह समाधान हो जाने पर कि—

(क) इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति आवश्यक तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई है ; या

(ख) अनुज्ञप्तिधारक युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसी शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है जिसके अध्ययधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी ; या

(ग) इस अधिनियम के किन्ही उपबधों या उनके अधीन जारी किसी अधिसूचना

या बनाए गए किन्ही नियमों का तीन बार से अधिक बार बार उल्लंघन किया है,

अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसका अनुज्ञप्तिधारक इस अधिनियम के अधीन दायी है, आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रद्द या निलंबित कर सकेगा :

परंतु अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बिना भी अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित कर सकेगा, यदि उसका ऐसे कारणों से जो लेखबंद्ध किए जाए, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा किया जाना व्यवहार्य नहीं है ।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, लोक हित में, विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसका ऐसा धारक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दायी हो सकेगा, ऐसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने का आदेश कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है, ऐसे निलंबन के पश्चात् तुरंत मछली पकड़ने या मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलाप रोक देगा, जिनके संबंध में ऐसी अनुज्ञप्ति जारी की गई थी और ऐसे क्रियाकलाप तब तक पुन: प्रारंभ नहीं करेगा जब तक ऐसे निलंबन आदेश का लिखित में प्रतिसंहरण नहीं कर लिया जाता है ।

(4) इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन और रद्दकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा ।

प्रभार का उद्ग्रहण और उनसे छूट ।

17. (1) इस अधिनियम के अधीन मछली पकड़ने और मछली पकड़ने संबंधी प्रत्येक क्रियाकलाप ऐसे प्रभार उद्गृहीत करने के अध्यधीन होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अवधारित किए जाएं और उनका संग्रहण ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए:

परंतु मत्स्य जलयानों के भिन्न भिन्न वर्गों या प्रवर्गों और उनके प्रचालन के क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न प्रभार उद्गृहीत किए जा सकेंगे, जैसा विहित किया जाए।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा गैर-मोटरीकृत मत्स्य जलयानों, मोटरीकृत मत्स्य जलयानों, वैज्ञानिक अनुसंधान और सर्वेक्षण जलयानों और मत्स्य जलयानों के ऐसे अन्य प्रवर्गों को इस धारा के अधीन प्रभार के उद्ग्रहण के छूट दे सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा मशीनीकृत मत्स्य जलयानों के कतिपय वर्गों या प्रवर्गों और मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलापों में लगे हुए ऐसे अन्य जलयानों को इस धारा के अधीन प्रभारों के उद्ग्रहण से छूट प्रदान कर सकेगी ।

अध्याय 3

समुद्री मत्स्य उद्योग के लिए परामर्श समिति

समुद्री मत्स्य उद्योग के लिए परामर्श समिति

18. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, मछियारों और मत्स्य उद्योगों के संगठनों और संगमों, संस्थाओं से प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से मिलकर बनी, समुद्री मत्स्य उद्योग पर परामर्शी समिति गठित करेगी ।

(2) परामर्शी समिति, केन्द्रीय सरकार को समुद्री मत्स्य उद्योग के विकास और प्रबंधन, मछियारों के कल्याण और इस अधिनियम के क्रियान्वयन पर सलाह देगी ।

(3) परामर्श समिति का गठन, उसकी कृत्यकारी की निबंधनें जिसके अंतर्गत उसके कारबार के संव्यवहार की रीति भी है, ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

(4) केन्द्रीय सरकार, परामर्श समिति की ऐसे मामलों पर सहायता और सहयोग के लिए ऐसी संख्या में जो वह आवश्यक समझे समय समय पर उप समितियों का गठन कर सकेगी ।

अध्याय 4

प्राधिकृत अधिकारी और अपराधों का न्यायनिर्णयन

प्राधिकृत अधिकारी ।

19. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा मत्स्य जलयानों के किसी वर्ग अथवा वर्गों या ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों अथवा ऐसे क्रियाकलापों के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों के रूप में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारियों को नियुक्ति कर सकेगी, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियां ।

20. (1) प्राधिकृत अधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि मत्स्यन जलयान इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों या आदेश या किसी नियम या इसके अधीन जारी किसी अधिसूचना या आदेश की किन्ही शर्तों के उल्लंघन में प्रयोग किया जा रहा है या कोई कार्यकलाप किया जा रहा है, तो :—

(क) किसी मत्स्यन जलयान को रोक सकेगा या उस पर चढ़ सकेगा और मत्स्यों के लिए या मत्स्यन में उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने योग्य उपस्करों के लिए ऐसे जलयान की तलाशी ले सकेगा या निरीक्षण कर सकेगा ;

(ख) ऐसे जलयान के स्किपर से जलयान के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों, लॉग बुक या जलयान से संबंधित किन्हीं अन्य दस्तावेजों को पेश करने की या फ़लक पर के व्यक्तियों के ब्यौरों की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां ले सकेगा ;

(ग) ऐसे जलयान के या जलयान से संबंधित मत्स्यन, जाल, मत्स्यन संभार या उपस्कर की स्वयं परीक्षा कर सकेगा ;

(घ) ऐसी कोई जांच कर सकेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि क्या इस अधिनियम के किसी उपबंध की अनुपालना की गई है ।

(2) जहां प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी विदेशी मत्स्यन जलयान ने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या भारत में कोई अवैध कार्यकलाप किया है, वहां वह—

(क) ऐसे जलयान का जलयान से संबंधित सामान या जलयान के फलक पर पाए गए मत्स्यन संभार, मत्स्य, उपस्कर, भंडारण या कार्गो सहित, अभिग्रहण और निरुद्ध कर सकेगा ; या

(ख) जलयान द्वारा परित्यक्त किसी मत्स्यन संभार का अभिग्रहण और निरुद्ध कर सकेगा ; या

(ग) ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जिसने अपराध किया है,

और अभिग्रहीत या निरुद्ध जलयान के स्किपर या आपरेटर से ऐसे जलयान को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी पत्तन में लाने की अपेक्षा कर सकेगा :

परंतु इस प्रकार निरुद्ध या अभिग्रहीत जलयान, डाकिंग, रखरखाव या फ़लक पर पकड़ी गयी मत्स्यों, जिसमें जीवित मत्स्य, यदि कोई हैं, भी हैं, ऐसे प्रभारों, जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी विदेशी मत्स्यन जलयान के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में प्राधिकृत अधिकारी ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो और यथासंभव शीघ्र केन्द्रीय सरकार को ऐसे निरुद्ध और अभिग्रहण की, गिरफ्तार किए व्यक्ति या व्यक्तियों के ब्यौरों सहित, लिखित में सूचना देगा और अपराध की रिपोर्ट के साथ ऐसे गिरफ्तार किए व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यवाहियों को प्रारम्भ करने हेतु किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा;

(4) जहां प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी भारतीय मत्स्यन जलयान ने धारा 5 या धारा 6 या धारा 14 के उपबंधों का उल्लंघन किया है वहां वह ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट तैयार करेगा और सम्बद्ध न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को कार्यवाहियों को प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तुत करेगा तथा रिपोर्ट की प्रति जलयान के स्किपर

या समादेशक व्यक्ति को प्रदान करेगा :

(5) जहां, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए, प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी भारतीय मत्स्यन जलयान ने, धारा 10 या धारा 11 या धारा 12 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, वहां वह,—

(i) ऐसे जलयान के दस्तावेजों को, मत्स्यन संभार, मत्स्य, उपस्कर, भंडारण या कार्गो सहित, अभिग्रहीत करेगा ;

(ii) जलयान का स्किपर या समादेशक व्यक्ति को लिखित में निदेश देगा कि जलयान को निकटतम घाट पर लगाए ; और

(iii) ऐसे उल्लंघन की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और संबद्ध न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(6) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करने के अनुसरण में कोई मत्स्यन जलयान अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं से परे चला जाता है वहां ऐसी परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विस्तार तक और भारत में लागू विधियों के अनुसार किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी सीमाओं से परे शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा ।

(7) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, ऐसी अन्य शक्तियां प्राधिकृत प्राधिकारी को प्रदत्त कर सकेगी, जो खुले समुद्र में भारतीय मत्स्य जलयानों का प्रचालन करने के प्रयोजन से प्रदत्त करना आवश्यक समझे ।

न्याय निर्णयन ।

21. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, धारा 20 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, जांच और कार्यवाहियां ऐसी रीति में प्रारंभ करेगा जो विहित की जाए, और उस पर अपना निर्णय देगा ।

(2) यदि यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मैट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट, धारा 20 के अधीन अभिगृहीत ऐसी मत्स्यों के विक्रय का आदेश दे सकेगा और उनके विक्रय आगमों को उसकी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट विक्रय आगमों को, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मैट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट के अंतिम निर्णय पर किसी विक्रय या नीलामी या उससे संबंधित अन्य आनुषंगिक व्ययों की कटौती करने के पश्चात् सामुद्रिक मत्स्यन विकास निधि को संदत्त किया जाएगा :

परंतु दोषमुक्त होने की दशा में, स्वामी या स्किपर या कोई अन्य व्यक्ति जिससे यह अभिग्रहीत किया जाता है, को ऐसे व्ययों की कटौती के पश्चात, विक्रय आगम संदत्त किए जाएंगे।

(4) धारा 15 के अधीन प्रदान किए गए विशेष अनुज्ञप्ति की निबंधनों और शर्तों के किसी उल्लंघन पर न्यायनिर्णयन के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

न्याय निर्णयन प्राधिकारी ।

22. केन्द्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात्, ऐसे अधिकारियों को जो राज्य सरकारों के जिला मत्स्यन सहायक निदेशक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के न हो, अधिसूचित करेगी, जो धारा 20 की उपधारा (4) और उपधारा (5) के अधीन अपराधों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी होंगे ।

अपील प्राधिकारी ।

23. केन्द्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात्, ऐसे अधिकारियों को, जो राज्य सरकारों के जिला मत्स्यन अपर निदेशक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के न हो, अधिसूचित करेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकारी होंगे ।

अपील ।

24. (1) धारा 21 के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिसको उसे आदेश प्राप्त हुआ है, तीस दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा :

परंतु इस धारा के अधीन कोई अपील, अपील प्राधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी अपील फाइल करते समय उस आदेश में विनिर्दिष्ट जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के अधीन संदेय शास्ति की रकम को जमा नहीं कर देता है :

परंतु यह और कि अपील प्राधिकारी, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात्, किंतु पूर्वोक्त तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व, कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था ।

(2) अपील प्राधिकारी अपील का विनिश्चय करते समय ऐसे प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो विहित की जाए ।

अभिलेख, आदि की मांग करने के लिए अपील प्राधिकारी की शक्ति ।

25. अपील प्राधिकारी, न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेखों, जिनके विरुद्ध धारा 24 के अधीन कोई अपील नहीं की गई है, को मंगा सकेगा और उनकी समीक्षा कर सकेगा और ऐसा आदेश, जो वह ठीक समझे, पारित कर सकेगा :

परंतु अपील प्राधिकारी, ऐसा कोई आदेश, इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

न्यायनिर्णयन अधिकारी और अपील प्राधिकारी की शक्तियां ।

26. (1) न्यायनिर्णयन अधिकारी और अपील प्राधिकारी को, जांच करते समय, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को किसी वाद का विचारण करते हुए होती हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) साक्षियों को समन करना और उनको हाजिर कराना ;

(ख) किसी दस्तावेज की मांग और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी न्यायालय के कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना ;

(घ) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

भारत में सामुद्रिक क्षेत्रों में विदेशी मत्स्यन जलयानों द्वारा अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति ।

27. यदि कोई विदेशी मत्स्यन जलयान,—

(i) धारा 8 के उल्लंघन में भारत के सामुद्रिक क्षेत्रों में मत्स्यन करता पाया जाता है तो यथास्थिति, स्वामी या प्रचालक या स्किपर फलक पर मत्स्यन संभार, उपस्कर, भंडार या कारगो सहित निरुद्ध किया जा सकेगा और कारावास से जिसका विस्तार दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक करोड़ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा;

(ii) धारा 9 के उल्लंघन में भारत में सामुद्रिक क्षेत्रों में अभिवहन करता है, तो यथास्थिति, ऐसे जलयान का स्वामी या प्रचालक या स्किपर, जुर्माने से जो दस लाख रुपये से कम का नहीं होगा किंतु बीस लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में भारतीय मत्स्यन जलयानों द्वारा अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति ।

28. (1) जहां कोई भारतीय मत्स्यन जलयान धारा 10 या धारा 11 या धारा 12 के उल्लंघन में अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में मत्स्यन या मत्स्यन संबंधित कार्यकलापों में लगा हुआ है, तो यथास्थिति, ऐसे जलयान का स्वामी या प्रचालक या स्किपर निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में उल्लिखित अपराधों के लिए, दूसरे स्तंभ में उल्लिखित मत्स्यन जलयानों के प्रवर्ग के संदर्भ में, क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्तंभों में उल्लिखित विस्तार तक दंडनीय होगा,—

सारणी

अपराध	मत्स्यन	पहले अपराध	दूसरे अपराध	तीसरे	और

	जलयान का प्रवर्ग	पर शास्ति	पर शास्ति	पश्चातवर्ती अपराध पर शास्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धारा 10, धारा 11 और धारा 12	समग्र 15 मीटर लंबाई से कम का मोटरीकृत जलयान (ओएएल)	दो सौ रुपये का जुर्माना ।	पांच सौ रुपये का जुर्माना ।	दो हजार रुपये का जुर्माना ।
	15 मीटर ओएएल और अधिक लंबाई का मोटरीकृत जलयान	दो हजार रुपये का जुर्माना ।	पांच हजार रुपये का जुर्माना ।	दस हजार रुपये का जुर्माना ।
	समग्र 15 मीटर लंबाई से कम का मोटरीकृत जलयान (ओएएल)	पांच हजार रुपये का जुर्माना ।	दस हजार रुपये का जुर्माना ।	पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना ।
	15 मीटर ओएएल और अधिक लंबाई का मोटरीकृत जलयान ।	दस हजार रुपये का जुर्माना ।	बीस हजार रुपये का जुर्माना ।	पचास हजार रुपये का जुर्माना ।

(2) जहां कोई भारतीय मत्स्यन जलयान, धारा 5 या धारा 6 की उपधारा (1) या धारा 14 के उल्लंघन में अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में मत्स्यन या मत्स्यन संबंधित कार्यकलापों में लगा हुआ है, तो यथास्थिति, ऐसे जलयान का स्वामी या प्रचालक या स्किपर निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में उल्लिखित अपराधों के लिए, दूसरे स्तंभ में उल्लिखित मत्स्यन जलयानों के प्रवर्ग के संदर्भ में, क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्तंभों में उल्लिखित विस्तार तक दंडनीय होगा,—

सारणी

अपराध	मत्स्यन जलयान का प्रवर्ग	पहले अपराध पर शास्ति	दूसरे अपराध पर शास्ति	तीसरे और पश्चातवर्ती अपराध पर शास्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
धारा 5, धारा 6 (1) और धारा 14	समग्र 15 मीटर लंबाई से कम का मोटरीकृत जलयान (ओएएल)	सौ रुपये का जुर्माना ।	दो सौ पचास रुपये का जुर्माना ।	एक हजार रुपये का जुर्माना ।
	15 मीटर ओएएल और	एक हजार रुपये का	दो हजार रुपये का	पांच हजार रुपये का जुर्माना ।

अधिक लंबाई का मोटरीकृत जलयान	जुर्माना ।	जुर्माना ।	
समग्र 15 मीटर लंबाई से कम का मोटरीकृत जलयान (ओएएल)	तीन हजार रुपये का जुर्माना ।	पांच हजार रुपये का जुर्माना ।	दस हजार रुपये का जुर्माना ।
ओएएल 15 मीटर और अधिक लंबाई का मोटरीकृत जलयान	पांच हजार रुपये का जुर्माना ।	दस हजार रुपये का जुर्माना ।	बीस हजार रुपये का जुर्माना ।

खुले समुद्रों में भारतीय मत्स्यन जलयानों द्वारा अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन हेतु शास्ति ।

29. (1) जहां कोई भारतीय मत्स्यन जलयान, धारा 10 या धारा 11 या धारा 12 के उल्लंघन में खुले समुद्रो में मत्स्यन या मत्स्यन संबंधित कार्यकलापों में लगा हुआ है, तो यथास्थिति, ऐसे जलयान का स्वामी या प्रचालक या स्किपर निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में उल्लिखित अपराधों के लिए, दूसरे स्तंभ में उल्लिखित मत्स्यन जलयानों के प्रवर्ग के संदर्भ में, क्रमश: तीसरे और चौथे स्तंभों में उल्लिखित विस्तार तक दंडनीय होगा,--

सारणी

अपराध	**मत्स्यन जलयान का प्रवर्ग**	**पहले अपराध पर शास्ति**	**दूसरे और पश्चातवर्ती अपराध पर शास्ति**
(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 10, धारा 11 और धारा 12	15 मीटर समग्र लंबाई से कम का मोटरीकृत जलयान (ओएएल)	पच्चीस हजार का जुर्माना	पचास हजार रुपये का जुर्माना और तीस दिन की अवधि के लिए जलयान परिबद्ध करना ।
	15 मीटर ओएएल और अधिक समग्र लंबाई से कम मोटरीकृत जलयान (ओएएल)	पचास हजार रुपये का जुर्माना ।	दो लाख रुपये का जुर्माना और तीस दिन की अवधि के लिए जलयान परिबद्ध करना ।

(2) जहां कोई भारतीय मत्स्यन जलयान, खुले समुद्र में धारा 5 के उल्लंघन में मत्स्यन या मत्स्यन संबंधित कार्यकलापों में लगा हुआ है, तो यथास्थिति, ऐसे जलयान का स्वामी या प्रचालक या स्किपर निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में उल्लिखित अपराधों के लिए, दूसरे स्तंभ में उल्लिखित मत्स्यन जलयानों के प्रवर्ग के संदर्भ में, क्रमश: तीसरे और चौथे स्तंभों में उल्लिखित विस्तार तक दंडनीय होगा,—

सारणी

अपराध	**मत्स्यन जलयान का प्रवर्ग**	**पहले अपराध पर शास्ति**	**दूसरे और पश्चातवर्ती अपराध पर शास्ति**
(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 5	समग्र 15 मीटर लंबाई से कम का	बीस हजार रुपये का जुर्माना ।	चालीस हजार का जुर्माना और तीस दिन

मोटरीकृत जलयान (ओएएल)		की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति का निलंबन
15 मीटर ओएएल और अधिक लंबाई का मोटरीकृत जलयान	पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना ।	एक लाख रुपये का जुर्माना और तीस दिन की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति का निलंबन ।

विशेष अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों के उल्लंघन हेतु शास्ति ।

30. (1) यदि कोई भारतीय मत्स्यन जलयान, धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त विशेष अनुज्ञप्ति की निबंधन और शर्तों की अनुपालना करने में विफल रहता है तो ऐसे जलयान का स्वामी या प्रचालक या स्किपर जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा जिसके साथ अनुज्ञप्ति का यथास्थिति, निलंबन या रद्द किया जाना भी है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्द करने हेतु धारा 16 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया होगी ।

प्राधिकृत अधिकारियों को बाधा के लिए शास्ति ।

31. यदि किसी जलयान का स्वामी या प्रचालक या स्किपर, किसी प्राधिकृत अधिकारी को उसकी शक्तियों के प्रयोग में साशय बाधा पहुंचाता है, तो वह,—

(i) ऐसी दशा में, जहां कोई भारतीय मस्यन जलयान है, उस कारावास से, जो या तो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ii) ऐसी दशा में, जहां कोई विदेशी मस्यन जलयान है, उस कारावास से, जो या तो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

32. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार, उस कंपनी के संचालन के लिए उस कंपनी का समादेशक था या उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध किए जाने की दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

निधि का गठन ।

33. (1) समुद्री मत्स्य उद्योग निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित का प्रत्यय किया जाएगा—

(क) कोई अनुदान या उधार, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत कुल प्राप्तियां ; और

(ग) कोई अनुदान या उधार, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य सरकार या संस्थान द्वारा दिए जाएं ।

(2) निधि का उपयोजन मछुआरों जिसके अंतर्गत गैर-मोटरीकृत मत्स्यन जलयानों का प्रचालन करने वाले परंपरागत मछुआरे भी हैं, और सामुद्रिक मत्स्यन प्रबंधन और संधारणीय विकास और संबंधित कार्यकलापों, जो विहित किए जाएं, में किया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, निधि का अनुरक्षण और प्रशासन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, करेगी ।

निधि के लेखे और संपरीक्षा ।

34. (1) केन्द्रीय सरकार, निधि के संबंध में उचित और पृथक लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगी और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से, लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, तैयार करेगी ।

(2) निधि के लेखे, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा, ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विहित किए जाएं, संपरीक्षित किए जाएंगे।

केन्द्रीय समुद्री मत्स्य उद्योग डाटा ।

35. (1) केन्द्रीय सरकार का मत्स्य पालन विभाग, समुद्री मत्स्य उद्योग पर जानकारी और डाटा का राष्ट्रीय निक्षेपागार होगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार, मत्स्य उद्योग, मत्स्य उद्योग संसाधनों, मत्स्य उतारने, मत्स्य उद्योग अवसंरचना और मछुवारों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित सभी जानकारी और डाटा एकत्रित करेगी और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जानकारी का समाकलन, प्रसंस्करण और प्रसारण करेगी ।

अपराधों का संज्ञान ।

36. (1) कोई न्यायालय किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के सिवाय किसी अपराध का संज्ञान पर लेगा।

1974 का 1

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8 और धारा 9 के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण ।

37. (1) प्राधिकृत अधिकारी या न्यायनिर्णयन अधिकारी या अपील प्राधिकारी के विरुद्ध, उसके कर्तव्य के निर्वहन में किसी ऐसी बात के लिए, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण हुए या हो सकने वाले नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई सरकार के विरुद्ध नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

38. (1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 7 के अधीन परंपरागत और लघु-उद्योग मछुआरों की जीविका और सामाजिक, आर्थिक कल्याण अभिवृद्धि हेतु उपाय;

(ख) धारा 9 के अधीन भारत के सामुद्रिक क्षेत्रों में अभिवहन करने वाले विदेशी मत्स्यन जलयानों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(ग) ऐसी मत्स्यन पद्धतियां, जिनके संबंध में धारा 10 के अधीन के प्रकाश का प्रयोग अनुज्ञात किया जा सकेगा ;

(घ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन फीस संगृहण की रीति और प्ररुप, शर्तें और फीस, उपधारा (3) के अधीन अधीन प्ररुप, रीति और समय जिसके भीतर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी और ऐसी असाधारण परिस्थितियां जिनके अधीन उपधारा (6) के अधीन अनुज्ञप्ति अंतरित की जा सकेगी ;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति

के निबंधन और शर्तें ;

(च) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन उदगृहीत किए जाने वाले प्रभार और संग्रहण की रीति;

(छ) धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन परामर्शकारी समिति की संरचना और उसके कृत्यों के निबंधन ;

(ज) धारा 20 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन अभिगृहीत किए गए जलयान डॉकिंग, अनुरक्षण और रखरखाव आदि से संबंधित प्रभार ;

(झ) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच और प्रारंभ की जाने वाली कार्यवाहियों की रीति और उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया ;

(ञ) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अपील निर्णीत करने की प्रक्रिया ;

(ट) धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे क्रियाकलाप, जिनके संबंध में निधि प्रयुक्त की जाएगी, उपधारा (3) के अधीन ऐसी निधि के अनुरक्षण और प्रशासन की रीति ;

(ठ) धारा 34 की उपधारा (1) के वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप ;

(ड) धारा 35 की उपधारा (2) के ऐसी रीति, जिसमें जानकारी और डाटा का समाकलन, प्रसंस्करण और प्रसारण किया जाएगा ;

(ढ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या किया जा सकेगा ।

बनाए गए नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

39. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निप्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

1976 का अधिनियम सं0 80 का प्रभाव ।

40. राज्यक्षेत्रीय सागरखंड महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 7 की उपधारा (5) के उपबंधों का इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई प्रभाव नहीं होगा । 1976 का 80

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

41. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसे किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

42. (1) भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्यवाही, जिसके अंतर्गत कोई अधिसूचना, किया गया आदेश, की गई नियुक्ति, जारी प्रमाणपत्र, सूचना, किया गया आवेदन या प्रदान की गई अनुज्ञप्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।